दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

Entry 197

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प, भोपाल (90)

P 1280-PB 217 प्रकरण क्रमांक

रघुनाथ आ० श्री मायाराम निवासी ग्राम

निपानिया जाट, तहसील हुजूर जिला भोपाल --- निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

१- अफसर अली आ० श्री असगर अली,

२- सबूर बेगम आ० श्री सईद बेग,

३- रईस अहमद आ० श्री अतीक अहमद खान

समस्त निवासीगण जहांगीराबाद, भोपाल ---प्रतिनिगरानीकर्त्ता

म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी

(76)

महोदय,

अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक 30/3/… को पेश।

निगरानीकर्त्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल-१, ब्दैखेड़ी के प्रकरण क्रमांक ६६।अ-१२।९५-९६ में पारित आदेश दिनांक - १३-४-९६ से असंतुष्ट एवं दु:खी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

---ooo---

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिनिगरानीकर्त्ता द्वारा ग्राम रायपुर की भूमि खसरा क्रमांक ३२०।२।१ एवं ३२०।२।२ रकबा क्रमश: ०-८०६, ०-६०७ हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया तथा निगरानीकर्त्ता को विधिवत् सूचना पत्र दिये बिना ही निगरानीकर्त्ता का अवैध कब्जा बताया गया।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

:: निगरानी के आधार ::

१- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि, विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है।

२- यह कि दिनांक १६-३-९६ को पटवारी द्वारा सीमांकन के लिए नोटिस जारी किया है और दिनांक १९-३-९६ को सीमांकन किया जाना

---२

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1280-PBR/17 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 21-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	